

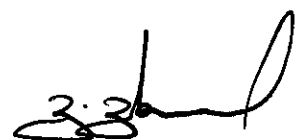
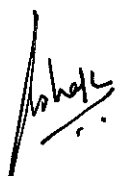
भारत गणराज्य सरकार

और

जॉर्जिया सरकार

के बीच

विमान सेवा करार



भारत गणराज्य सरकार तथा जॉर्जिया सरकार (जिन्हें इसके पश्चात 'संविदाकारी पक्षकार' कहा गया है);

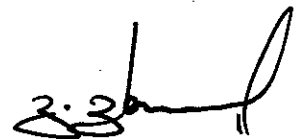
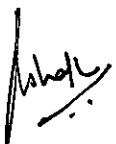
दिनांक 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्षकार होने के नाते;

अपने-अपने राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा से; तथा

दोनों पक्षकार अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की इच्छा से और विमानों की सुरक्षा के विरुद्ध कृत्यों अथवा खतरों, जिनकी वजह से व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा का जोखिम बढ़ता है, विमान सेवाओं के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तथा नागर विमानन संरक्षा के संबंध में लोगों का विश्वास कम होता है; के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुनः अभिपुष्टि करते हुए;

निम्न प्रकार से करार करते हैं:

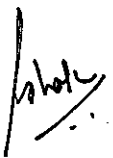


अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द-

- (1) "वैमानिक प्राधिकारी" का आशय, भारत गणराज्य के मामले में, नागर विमानन मंत्रालय और/या नागर विमानन महानिदेशालय और जॉर्जिया के मामले में, जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑफ ईकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और/या सिविल एविएशन एजेंसी, या दोनों मामलों में, ऐसे किसी भी व्यक्ति या निकाय से है जिसे उपरोक्तलिखित प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जाने योग्य किसी भी कार्यकलाप या ऐसे ही कार्यकलाप को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है;
- (2) 'करार' का आशय इस करार, इसके अनुबंधों तथा इनमें किए गए किसी भी संशोधन से है;
- (3) 'अभिसमय' का आशय, 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें ऐसा कोई संशोधन भी शामिल है जो उसी अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षकारों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार ऐसे कोई भी अनुबंध अथवा संशोधन भी शामिल है जो दोनों पक्षकारों के लिए किसी भी निश्चित समय से प्रभावी और अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन किसी भी अनुबंध अथवा संशोधन को अपनाया गया है;
- (4) 'विमान सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा', 'एयरलाइन' तथा 'गैर यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' का आशय उसी अर्थ से है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में दिया गया है;
- (5) 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;
- (6) "टैरिफ" का आशय एयरलाइन (एयरलाइनों), जिनमें उनके एजेंट भी शामिल हैं, द्वारा प्रभारित हवाई सेवा में यात्रियों (और उनके बैगेज) और/या कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए किसी किराए, दर या प्रभार, और ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों से है;



(7) "राज्यक्षेत्र" का तात्पर्य वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;

(8) "प्रयोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य एयरलाइन (एयरलाइनों) पर हवाईअड्डा, हवाई दिक्चालन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं - जिसमें विमानों, उनके कर्मियों, यात्रियों, बैगेज और कार्गो से संबंधित सेवाएं और सुविधाएं भी शामिल हैं - के प्रावधान के लिए लगाए गए प्रभार से है;

(9) "पूर्ण लागत" का आशय सेवा प्रदान करने की लागत जमा प्रशासनिक ऊपरी खर्च के लिए युक्तिसंगत प्रभार से है;

(10) "इंटरमोडल हवाई पारवहन" का आशय विमान द्वारा और परिवहन के एकाधिक माध्यमों द्वारा, पारिश्रमिक या किराए के लिए, पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, यात्रियों, बैगेज, कार्गो और डाक के सार्वजनिक वहन से है;

(11) "क्षमता" का आशय इस करार के अधीन मुहैया कराई जाने वाली सेवा की मात्रा (मात्राओं) से है, जिसे सामान्यतः एक बाजार (नगर युग्म, या देश से देश) में या/और ऑफर किए गए कार्गो के टनों या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, सीजन या वार्षिक रूप से, किसी मार्ग पर उड़ानों (आवृत्तियों) की संख्या के रूप में मापा जाता है।

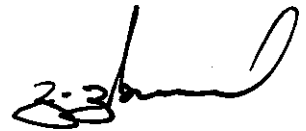
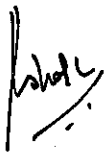
अनुच्छेद-2

अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इस करार के अनुबंध 1 के उपयुक्त खंड अथवा भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात क्रमशः 'सहमत सेवाएं' तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

(क) बिना अवतरण किए दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने का अधिकार;

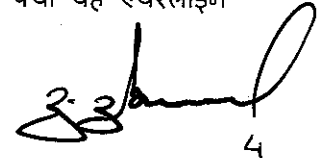
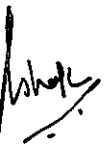


- (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में रुकने का अधिकार; और
- (ग) विनिर्दिष्ट स्थानों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए विनिर्दिष्ट स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षकारों के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो के अंतरराष्ट्रीय यातायात को अलग-अलग रूप से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार भी होगा;
3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) इस अनुच्छेद के पैरा (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने की हकदार भी होगी।
4. इस अनुच्छेद के पैरा (2) की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसे यात्रियों और डाक सहित कार्गो को विमान में चढ़ाने का विशेषाधिकार है।
5. यदि एक पक्षकार की नामित एयरलाइन विशेष या असामान्य परिस्थितियों के कारण अपनी सामान्य मार्ग-प्रक्रिया के अनुसार सेवा का प्रचालन करने में असमर्थ है तो दूसरा पक्षकार अस्थायी रूप से उपयुक्त मार्गों की पुनः व्यवस्था कर ऐसी सेवा का प्रचालन जारी रखने की सुविधा करने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा जैसा कि इस संबंध में पक्षकारों द्वारा परस्पर निर्णय लिया गया है।
6. एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले एयरवेज, एयरपोर्ट तथा अन्य सुविधाओं का बिना किसी भेदभाव के आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3

एयरलाइनों का नामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करने के प्रयोजन से एयरलाइन या एयरलाइनों को नामित करने तथा इस प्रकार के नामन को वापस लेने अथवा फेर-बदल करने, और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। नामन के बारे में दिए जाने वाले नोटिस में यह सूचना शामिल होगी कि क्या यह एयरलाइन


4

अनुबंध द्वारा निर्धारित हवाई सेवाओं के प्रकार को संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फार्म में तथा तरीके से किसी भी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (नों) से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रियागत विलंब के साथ उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार प्रदान करेंगे, बशर्ते:-

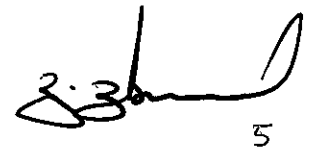
- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार या इसके राष्ट्रों में विहित हैं;
- (ख) नामित एयरलाइन को उस आवेदन पर विचार करने वाले संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यतः लागू कानूनों तथा विनियमों के तहत विहित शर्तों को पूरा करने की योग्यता प्राप्त हो;
- (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला संविदाकारी पक्षकार इस करार के अनुच्छेद-9 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद-10 (विमानन सुरक्षा) में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित तथा प्रशासित कर रहा हो।

अनुच्छेद - 4

प्रचालनिक प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार, अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार के लिए इनका प्रतिसंहरण, निलम्बन अथवा सीमित कर सकता है:-

- क) इसका वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत गणराज्य सरकार या इसके राष्ट्रों में विहित न हो।
- ख) एयरलाइन इस अनुबंध के अनुच्छेद 6 (कानूनों की प्रयोज्यता) में संदर्भित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में विफल रही हो; या
- ग) एयरलाइन को नामित करने वाला दूसरा संविदाकारी पक्षकार इस करार के अनुच्छेद 9 (संरक्षा) में निर्धारित मानदंडों का अनुरक्षण और प्रशासन नहीं कर रहे हैं।


5

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) का और आगे अतिलंघन रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित अधिकारों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्षकार के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-10 (विमानन सुरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी संविदाकारी पक्षकार को दूसरे संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार पर रोक, प्रतिसंहरण, सीमा अथवा शर्तें नहीं लगाता।

अनुच्छेद 5

सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

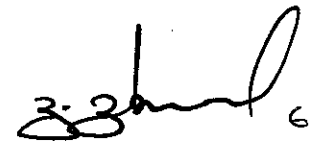
1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों के लिए अपने संबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के लिए निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के संबंध में दोनों पक्षकारों के बीच सहमति होगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में किसी प्रकार की वृद्धि, दोनों पक्षकारों के बीच करार के अध्यधीन होगी। ऐसे करार अथवा समाधान के लंबित होने की स्थिति में पहले से लागू क्षमता तथा आवृत्ति संबंधी पात्रताएं विद्यमान रहेंगी।

4. पूर्वगामी पैरा के बावजूद, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनें, इस करार के साथ संलग्न मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थलों पर विचार किए बिना एक दूसरे के राज्यक्षेत्र के बीच, पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमानों के साथ कितनी भी संख्या में ऑल-कार्गो सेवाएं प्रचालित करने की हकदार होंगी। ऐसी ऑल-कार्गो सेवाएं किसी अन्य एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ, जिनमें तीसरे देशों की एयरलाइनें भी शामिल हैं, कोड शेयरिंग, ब्लॉकड स्पेस आदि जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी प्रचालित की जा सकती हैं।

5. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइनों को ऐसे प्रचालनों को कवर करने वाले दूसरे संविदाकारी पक्षकार के विनियमों के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में चार्टर उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति होगी।

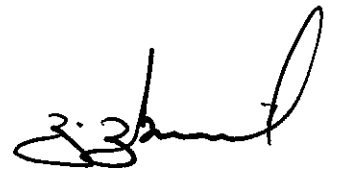


अनुच्छेद- 6
कानूनों का अनुप्रयोग

1. एक संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, इसके भीतर रहते हुए अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित उनके कानूनों, विनियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन किया जाएगा।
2. एक संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसके भीतर रहते हुए अथवा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से विमान में यात्रियों, सामान, कर्मिंदल अथवा कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आप्रवास, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध अथवा, डाक के मामले में, डाक विनियम सहित) के प्रवेश अथवा प्रस्थान करने संबंधित इसके कानून और विनियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मिंदल अथवा कार्गो अथवा पोतवणिक द्वारा अथवा उनकी ओर से अनुपालन किया जायेगा।
3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस अनुच्छेद में उपबंधित कानूनों तथा विनियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने में समान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन पर किसी अन्य एयरलाइन अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइन को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।
4. किसी भी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर डायरेक्ट ट्रांजिट में आने वाले और ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाईअड्डों के क्षेत्रों को न छोड़ने वाले यात्री, बैगेज और कार्गो - हिंसा, एयर पायरेसी, नारकोटिक्स कंट्रोल, निषिद्ध मर्दों आदि को छोड़कर - अधिकतम एक सामान्यकृत नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

अनुच्छेद- 7
प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण, गैर-पक्षपातपूर्ण तथा प्रयोक्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समान मात्रा में होंगे। ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का आकलन दूसरे संविदाकारी पक्षकार



की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के लिए ऐसी शर्तों पर किया जाएगा जो प्रभारों का आकलन किए जाते समय किसी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हो।

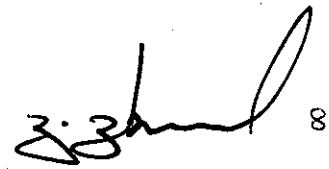
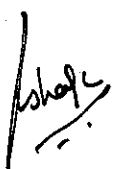
2. दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में, हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डे की प्रणाली के भीतर, पर्यावरणीय, विमान दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाएं प्रदान करने के प्रभार परिलक्षित होंगे किन्तु ये प्रभार, प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई पूर्ण लागत से अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में, मूल्यहास के पश्चात, परिसंपत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल है। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं उन्हें कुशल तथा किफायती आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र के भीतर सक्षम प्रभार प्राधिकारियों तथा सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रयोग करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को ऐसी सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जैसाकि इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप प्रभारों के औचित्यपूर्ण होने की सटीक तथा पारदर्शी समीक्षा किए जाने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ता प्रभार में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव के लिए प्रयोक्ताओं को औचित्यपूर्ण नोटिस दे ताकि प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें।

4. अनुच्छेद 18 (विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं के दौरान, किसी भी संविदाकारी पक्षकार को, इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान के उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यदि;

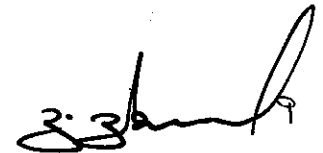
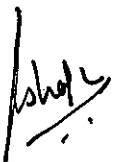
क) यह उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा करने में विफल रही हो, जो एक औचित्यपूर्ण समय के भीतर दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा शिकायत किए जाने के अध्यक्षीन है; या

ख) ऐसी समीक्षा करने के पश्चात, उसने इस अनुच्छेद के विपरीत किसी भी प्रभार अथवा परिपाटी के निवारक उपाय के प्रयोजनार्थ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी कदम उठाए हैं।

 8

अनुच्छेद- 8
सीमा शुल्क और कराधान में छूट

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इसके विमान, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्ट्स, जिनमें इंजन भी शामिल हैं, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिनमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं) तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्षकार की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य प्रचार पर अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सीमा शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।
2. इस अनुच्छेद के तहत छूटें केवल तभी प्रदान की जायेंगी जब पैरा (1) में संदर्भित मदें:
 - (क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अथवा उसकी ओर से उस संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लाई गई हों;
 - (ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखी गई हों; और/या
 - (ग) सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर उड़ान के भीतर दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लाई गई हो।
3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूटें इस तथ्य का ध्यान किए बिना लागू होंगी कि ऐसी मदों का उपयोग तथा उपभोग पूरी तरह से छूट प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के भीतर किया गया है अथवा नहीं, बशर्ते कि ऐसी मदों का स्वामित्व उक्त पक्षकार के राज्य में स्थानांतरित न किया गया हो।
4. किसी भी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर नियमित वायुवाहित उपस्कर के साथ-साथ सामान्यतः रखी गई सामग्री, भंडारण



और आपूर्तियों को दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में उस संविदाकारी पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी मर्दों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जा सकता है जब तक कि सीमा-शुल्कों विनियमों के अनुसार उनका पुनः निर्यात अथवा अन्यथा निपटान न कर दिया जाए।

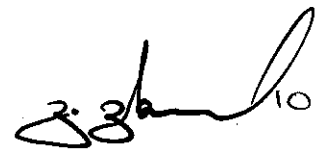
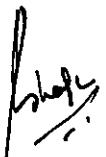
अनुच्छेद 9 संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार, वैमानिक सुविधाओं, विमान कर्मिंदल, विमान और नामित विमान कंपनी के प्रचालन से संबंधित अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेगा। ऐसे परामर्श इस अनुरोध के 30 दिन के भीतर अथवा दोनों संविदाकारी पक्षकारों के बीच जैसी सहमति हो, उतनी लंबी अवधि के भीतर किए जाएंगे।

2. यदि, ऐसे परामर्शों के बाद, एक संविदाकारी पक्षकार को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, को अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासित नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्षकार इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य संविदाकारी पक्षकार उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करे।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के पास अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार के निलंबन अथवा सीमित करने का अधिकार आरक्षित होगा यदि अन्य संविदाकारी पक्षकार ऐसे निष्कर्ष की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई न करें।

4. इस पर सहमति दी जाती है कि एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा या इसकी (इनकी) ओर से अन्य संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के लिए या वहां से सेवाओं पर प्रचालित कोई भी विमान, अन्य संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर होने पर, विमान और इसके कर्मिंदल दोनों के दस्तावेजों की वैधता और विमान और इसके उपस्करों ("रैम्प निरीक्षण" नाम अनुच्छेद में) की प्रत्यक्ष स्थिति की विमान के भीतर और इसके आसपास, अन्य संविदाकारी पक्षकार के



प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच के अध्यक्षीन होगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप अनौचित्यपूर्ण विलंब न हो।

5. यदि ऐसे रैम्प इंस्पेक्शन अथवा श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शनों से निम्नलिखित को बढ़ावा मिलता है:

- ऐसी गंभीर चिंताएं, कि विमान अथवा विमान के प्रचालन में, उस समय अभिसमय के अनुसरण में न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है; अथवा
- ऐसी गंभीर चिंताएं, कि उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासन में खामी रही है;

तो रैम्प इंस्पेक्शन करने वाला संविदाकारी पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनार्थ, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान के संबंध में, अथवा उस विमान के कर्मिंदल के संबंध में प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस जारी किए गए अथवा वैध करार दिए गए थे, अथवा जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान को प्रचालित किया जा रहा है, वे अपेक्षाएं अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समान अथवा ऊपर नहीं हैं।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैरा (4) के अनुसार एक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा प्रचालित विमान का रैम्प इंस्पेक्शन किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रवेश को उस एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया जाता है, तो अन्य संविदाकारी पक्षकार यह मानने, कि इस अनुच्छेद के पैरा (5) में संदर्भित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, और उस पैरा में संदर्भित निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. यदि प्रथम संविदाकारी पक्षकार, चाहे तो एक रैम्प इंस्पेक्शन, श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शन, रैम्प इंस्पेक्शन के लिए प्रवेश को मना कर दिए जाने, परामर्श के परिणामस्वरूप अथवा अन्यथा यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि एयरलाइन प्रचालन की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के पास अन्य संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार को निलंबित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

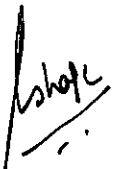
8. इस अनुच्छेद के पैरा (3) अथवा (7) के अनुसार एक पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 10
विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों संविदाकारी पक्षकार पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किए बिना, दोनों संविदाकारी पक्षकार विशेष रूप से, 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किए गए अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन, मांट्रियल में 1 मार्च, 1991 को अभिज्ञान के उद्देश्य से प्लास्टिक विध्वंसकों की निशानदेही के अभिसमय तथा विमानन सुरक्षा से संबंधित अन्य कोई अभिसमय जिसके दोनों संविदाकारी पक्षकार सदस्य हैं, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर, दोनों संविदाकारी पक्षकार, गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों संविदाकारी पक्षकार, अपने परस्पर संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन संविदाकारी पक्षकारों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उन संविदाकारी पक्षकारों के राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

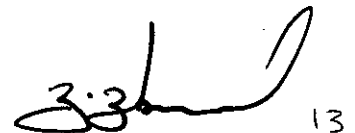


4. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार इस पर सहमत है कि उसके ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा उस पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय तथा वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय उस देश में लागू कानून के अनुरूप विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मियों, और उनके सामान, ले जाने वाली वस्तुओं, कार्गो तथा विमान सामग्री विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उसकी जांच करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी उपाय किए गए हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार किसी विशेष खतरे का सामना करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मियों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो दोनों संविदाकारी पक्षकार, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक संविदाकारी पक्षकार के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा संविदाकारी पक्षकार इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों से तुरंत परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकार वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर कोई भी पक्षकार 15 दिन पूरे होने से पहले अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

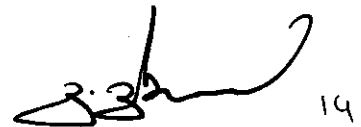
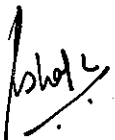
7. दूसरे पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने पर इस अनुच्छेद के पैरा 6 के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी।



13

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित हवाई सेवाओं और अन्य अनुषंगी उत्पादों तथा सुविधाओं के संवर्धन तथा बिक्री के लिए अन्य संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के कानूनों, विनियमों तथा नियमों के अनुसार क्षेत्र में प्रवेश, रिहाईश तथा रोजगार का अधिकार होगा जिससे अन्य संविदाकारी पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में प्रबंधकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेषज्ञता प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं तथा अन्य अनुषंगी उत्पादों एवं सुविधाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो। स्टाफ की ऐसी अपेक्षा को, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता वाले अपने स्वयं के कर्मिकों अथवा अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में प्रचालित तथा ऐसे अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन अथवा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।
3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों के माध्यम से, हवाई सेवाओं तथा अपने अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री में संलिप्त हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए, एयरलाइन को अपने स्वयं के पारवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, तथा कोई भी व्यक्ति, संबंधित प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुसार, उस अधिकार क्षेत्र की मुद्रा में अथवा आसानी से परिवर्तनीय मुद्राओं में, ऐसे पारवहन और इसके अनुषंगी उत्पादों का क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
4. नीचे दिए गए पैरा 6 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में, ईंधन की खरीद समेत, स्थानीय व्ययों के लिए, स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइनें अन्य संविदाकारी पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में ऐसे व्ययों का भुगतान अन्य संविदाकारी पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार आसानी से परिवर्तनीय मुद्राओं में कर सकती हैं।



14

5. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, मांग होने पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में हवाई सेवाओं और अपने अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के प्रचालन और/या बिक्री के संबंध में प्राप्त व्यय के ऊपर प्राप्तियों के साथ-साथ ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज से अधिक, किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में, परिवर्तित और अंतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग प्रयोज्य घरेलू नियमों और विनियमों के साथ घरेलू कर कानूनों और प्रयोज्य दोहरे कराधान परिहरण करार के अनुसार होगा। यदि एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे पक्षकार द्वारा पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद-12

सहकारी विपणन व्यवस्थाएं

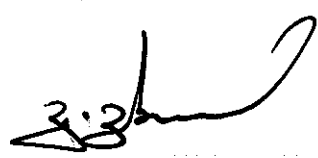
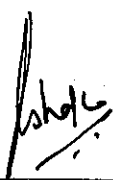
1. विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) निम्न के साथ सहकारी विपणन व्यवस्थाएं जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था संबंधी करार कर सकती हैं:-

- (क) उसी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों); अथवा
- (ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों); अथवा
- (ग) किसी तीसरे देश की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों)

2. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में शामिल सभी प्रचालक एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास मार्ग अधिकारों सहित अधीनस्थ (अंडरलाइंग) यातायात अधिकार होंगे तथा जो ऐसी व्यवस्था विषयक सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. सहकारी व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अधीनस्थ (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार होंगे तथा जो ऐसी व्यवस्थाओं विषयक सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमानों की संख्या, आकार और प्रकार की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के कोड शेयर प्रचालनों में शामिल विमानों के बीच यातायात अंतरित करने की अनुमति होगी।



5. प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां दाखिल करने तथा सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विमान सेवाएं आरंभ करने से पूर्व कोई अन्य दस्तावेज भी मुहैया करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

6. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिक्री संबंधी सेवाओं का प्रस्ताव करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार को यह स्पष्ट करेगा कि कौन सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन-सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदागत संबंध बनाने जा रहा है।

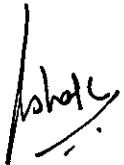
7. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं के जरिए प्रचालित कुल क्षमता की गणना, प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी में से ही की जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा पेश की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी में से नहीं की जाएगी।

8. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया करने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत हो कि कौन-सा संविदाकारी पक्षकार सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन), दायित्व तथा यात्रियों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे करार को कोड शेयर व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने से पहले, दोनों पक्षकारों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास दाखिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13

इंटरमॉडल सेवाएं

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान के लिए या किसी भी स्थान से यात्रियों तथा कार्गो के विमान परिवहन के संबंध में किसी प्रकार के इंटरमॉडल परिवहन को लगाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनों) अपने स्वयं के इंटरमॉडल परिवहन के निष्पादन या अन्य वाहकों के साथ कोड शेयर सहित व्यवस्थाओं का चयन कर सकती हैं। इंटरमॉडल सेवाएं श्रू सेवा के रूप में और विमान तथा इंटरमॉडल संयुक्त परिवहन के माध्यम से इसका प्रावधान करने के लिए एकल मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएंगी, बशर्ते यात्रियों और शिपरों को ऐसे पारवहन के प्रदाताओं के विषय में सूचित किया जाए।



अनुच्छेद- 14
अनुसूचियों का अनुमोदन

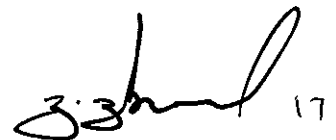
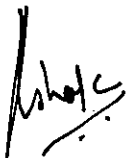
1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी अन्य संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाएं आरंभ करने के कम से कम 30 दिन पहले, उड़ान अनुसूचियों, जिनमें सेवा का प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों का प्रकार तथा प्रत्येक स्थान पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना शामिल हो, उन्हें उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। इसी प्रकार की सूचना प्रत्येक आयटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यातायात सीजन से कम से कम 30 दिन पहले और जब कभी भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन(ने) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों को इस करार की अपेक्षाओं का यथोचित रूप से अनुपालन किए जाने के संबंध में संतुष्ट करने के लिए यथाअपेक्षित कोई अन्य सूचना भी प्रदान करेगी।

अनुच्छेद- 15
आंकड़ों का प्रावधान

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के आरोहण और अवतरण के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के लिए और वहां से वाहित यातायात के वास्तविक प्रारंभिक स्थल और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवाएंगे।

 17

अनुच्छेद- 16

टैरिफ

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफों का निर्धारण प्रचालन की लागत तथा युक्तिसंगत लाभ और अन्य एयरलाइनों की टैरिफ सहित सभी संगत कारकों पर ध्यान देते हुए युक्तिसंगत स्तरों पर किया जाएगा।

2. पैरा (1) के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ को एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अन्य संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. उपर्युक्त के होते हुए भी, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को निम्नलिखित के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

- क) ऐसी टैरिफों को रोकना जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धारोधी प्रतिक्रिया होती हो, जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार संरचित होता हो;
- ख) उपभोक्ताओं का उन कीमतों से संरक्षण करना जो किसी प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक हो;
- ग) एयरलाइनों का उन कीमतों से संरक्षण करना जो लूटने वाली या कृत्रिम रूप से निम्न हो।

4. इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित प्रयोजनों के लिए एक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों से यह अपेक्षा रख सकते हैं कि वे टैरिफों की स्थापना से संबंधित जानकारी मुहैया कराएं।

5. यदि एक संविदाकारी पक्षकार को यह विश्वास है कि दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा वसूली जाने वाली प्रस्तावित टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो वह यथासंभव शीघ्र दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों से अवगत कराएगा तथा परामर्श का अनुरोध करेगा और यह परामर्श अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि पक्षकार असंतोष के कारणों से टैरिफ के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचते हैं तो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को उस करार को प्रभाव में लाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे। ऐसे आपसी करार के अभाव में पूर्व में विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेगी।

अनुच्छेद- 17

परामर्श

1. कोई भी संविदाकारी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार की व्याख्या, इसके अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन पर परामर्श के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है।

जब तक दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसे परामर्श दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होंगे। तथापि, अनुच्छेद 9 (संरक्षा) और अनुच्छेद 10 (विमानन सुरक्षा) से संबंधित मुद्दों के किसी भी मामले में, उसमें उल्लिखित समयसीमाओं का अनुसरण किया जाएगा।

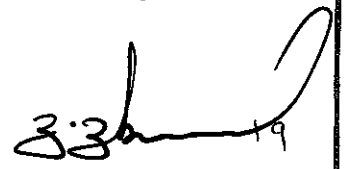
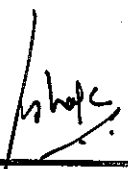
अनुच्छेद 18

विवादों का निपटान

1. यदि इस करार की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग के संबंध में संविदाकारी पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षकार सबसे पहले बातचीत के जरिए इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।
2. यदि संविदाकारी पक्षकार वार्ता द्वारा विवाद के समाधान तक पहुँचने में विफल रहते हैं, तो किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर, विवाद को निर्णय के लिए तीन माध्यस्थों के अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिनका गठन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा

(क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार एक मध्यस्थ का नाम बताएगा। इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो मध्यस्थता अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

(ख) यदि कोई भी संविदाकारी पक्षकार एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के खंड (क) के अनुसार तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्षकार 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर



सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षकारों में से एक संविदाकारी पक्षकार की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो वह नियुक्ति करेगा। किसी भी स्थिति में, तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्षकार की राष्ट्रीयता नहीं होगी।

3. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अधिकरण इस करार के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपने स्वयं के प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार बन जाने के बाद, यह अधिकरण अपने अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अधिकरण के निर्देश अथवा किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर, अधिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुपालन की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।

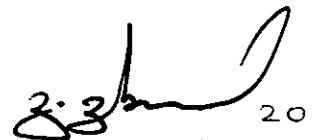
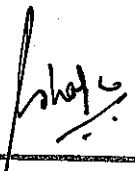
4. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अधिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने बाद 60 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिकरण किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षकारों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बाद एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अधिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

6. कोई भी संविदाकारी पक्षकार निर्णय लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अधिनिर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा।

8. मध्यस्थ अधिकरण के व्ययों को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्च भी शामिल हैं, संविदाकारी पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। इस अनुच्छेद के पैरा 2 के खंड (ख) में निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन



20

संगठन परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय के मध्यस्थ अधिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद-19 **संशोधन**

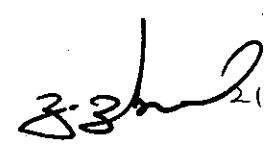
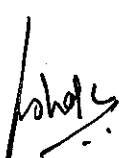
1. संविदाकारी पक्षकारों के पारस्परिक करार द्वारा, इस करार को लिखित में आशोधित और संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन इस करार के अनुच्छेद 23 (लागू होना) के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तित होगा। उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसरण में किए गए सभी संशोधन और आशोधन इस करार का अभिन्न अंग बनेंगे।
2. पैरा 1 के बावजूद, संविदाकारी पक्षकार इस करार के अनुबंधों के किसी संशोधन को तुरंत लागू करने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद-20 **बहुपक्षीय करार**

1. इस करार के कार्यान्वयन में, पक्षकार अभिसमय के प्रावधानों - जहां तक ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं - के अनुरूप कार्य करेंगे।
2. इस करार के लागू होने के पश्चात, यदि दोनों संविदाकारी पक्षकार इस करार में शामिल मामलों का समाधान करने वाले बहुपक्षीय करार के संविदाकारी पक्षकार बन जाते हैं तो कोई भी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्शों के लिए अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन किया जाए।

अनुच्छेद 21 **समापन**

कोई भी संविदाकारी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार को समाप्त करने के अपने निर्णय की सूचना अन्य पक्षकार को, लिखित में दे सकता है। ऐसी सूचना साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाएगी। यह करार उस अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना को प्राप्त करने की तिथि के बाद प्रथम वर्ष पूरा होने से तत्काल पहले सूचना प्राप्त होने के स्थान पर मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस सूचना को इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षकारों की



सहमति से वापस न ले लिया जाए। अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा पावती दिए जाने के अभाव में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख के पश्चात चौदहवें दिन को नोटिस प्राप्त किया माना जाएगा।

अनुच्छेद 22

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकरण

इस करार तथा इसके सभी संशोधन, उस संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत कराए जाएंगे, जिसके राज्यक्षेत्र में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुच्छेद 23

प्रभावी होना

वर्तमान करार अंतिम लिखित अधिसूचना, जिसके द्वारा संविदाकारी पक्षकारों में राजनायिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे को अधिसूचित कर दिया है कि उन्होंने इसे प्रवृत्त करने के लिए अपनी आंतरिक विधिक कार्यविधियां पूर्ण कर ली हैं, की तारीख से प्रवृत्त होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के कारण, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में हिंदी, जॉर्जियन और अंग्रेजी भाषाओं में तीन प्रतियां कार्यान्वित किया गया, और तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी विचलन की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत गणराज्य सरकार



(पुसापति अशोक गजपति राजू)

नागर विमानन मंत्री

कृते जॉर्जिया सरकार



(जियोर्जी गखारिया)

अर्थव्यवस्था और सतत विकास मंत्री